भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4750

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कंपनियों द्वारा सीएसआर का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना

4750. श्री राहुल शेवालेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री संजय धोत्रेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के खर्च की जांच करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत अपेक्षित खर्च से बचने के लिए अपनाई गई गुप्त गतिविधियों का सरकार ने किस प्रकार पता लगाया है;
(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए कितनी कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई है तथा तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त कंपनियों द्वारा अपने लाभों का सीएसआर के अंतर्गत अपेक्षित खर्च सुनिश्चित किए जाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135(3) और (4) में कंपनी के बोर्ड और इसकी सीएसआर समिति को इस अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए सीएसआर धनराशि आवंटित करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सीएसआर से संबंधित अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुपालन का उल्लंघन सूचित किये जाने पर अधिनियम की धारा 134(8) के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग): केवल वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही 221 मामलों में सीएसआर संबंधी उल्लंघन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये गये हैं।

(घ): इस मंत्रालय ने सीएसआर प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु कारपोरेट को जानकारी देने के लिए पिछले वर्षों में संपूर्ण भारत में कार्यशालाओं का आयोजन किया था। साथ ही इस मंत्रालय ने कंपनियों और व्यवसायिकों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमशः स्पष्टीकरण परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किये हैं।

*****